न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी0ए0/1112/2006/चित्तौडगढ

1. भूरादास पुत्र कालूदास
2. शंकरदास पुत्र कालूदास
3. घीसी पुत्री कालूदास
4. श्रीमती धापो बेवा कालूदास
5. तुलसीदास पुत्र हीरादास

समस्त जाति बैरागी निवासीगण रोलाहेडा तहसील चित्तोडगढ़।

अपीलांट/वादी....

बनाम

1. श्रीमती कमला पत्नि सूडादास (नाम तर्क)
2. रमेश पुत्र सूडादास
3. गोविन्द पुत्र सूडासदास
4. शांति पुत्री सूडादास

समस्त जाति बैरागी निवासीगण रोलाहेडा तहसील चित्तोडगढ़।

5. राजस्थान सरकार । रेस्पो0/प्रतिवादी...

खण्डपीठ
श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अभिभाषक अपीलांट्स।
अभिभाषक रेस्पो0 अनुपस्थित, एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

निर्णय

दिनांकः 11.05.2026

1. यह अपील डिक्री अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर कैम्प चित्तौडगढ़ दिनांक 27.02.1988 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी सूडादास द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम बोदियाणी में स्थिति विवादित आराजी खसरा नं.

49/2 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा वादी के पिता जग्गुदास की खातेदारी की भूमि होकर पैतृक सम्पत्ति है। वादी के पिता जग्गुदास के तीन पुत्र वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व मृतक हीरालाल जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है। वादी सूड़ादास का उक्त भूमि 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने विवादित आराजी को 1/2-1/2 हिस्सों आपस में बंटवारा करते हुये नामांतरकरण संख्या 163 स्वीकृत कर दर्ज करवा लिया। वादी द्वारा अपना हिस्सा मांगे जाने पर उसे मना कर दिया गया। उक्त आधार पर वादी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तत्पश्चात जवाबदावा प्राप्त होने पर 5 विवाद्यक निर्मित करते हुये परीक्षण न्यायालय ने विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति मानते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.1995 से वादी का वाद डिक्री करते हुये वादी का विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर कैम्प चित्तौडगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.1988 से खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण की एकपक्षीय की बहस अपील में सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम व विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता जग्गुदास ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है। इस आधार पर विवादित आराजी उनके पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति है। जिसे उन्होंने जरिये वसीयत प्रतिवादीगण को हस्तांतरण की है। परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति बताते हुये एवं वसीयत को प्रोबेट नहीं करवाने का आधार लेते वादी को खातेदारी घोषित कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उनका तर्क है कि विधिनुसार वसीयत को प्राबेट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वसीयत नहीं मानने की कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क

दिया कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं वसीयत प्रस्तुत किये जाने के उपरांत भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने विधिविरूद्ध निर्णय व डिक्री से विवादित आराजी का पैतृक सम्पत्ति मानते हुये वादी को विवादित आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया, जो निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक द्वारा 1996 आर0बी0जे0 पेज 11 व 255, 1985 ए0आई0आर0पेज 606, 2019 आर0बी0जे0 पेज 810, 2015 आर0बी0जे0 पेज 691, 2012 आर0बी0जे0 पेज 99, 2000 आर0बी0जे0 पेज 175 आदि न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5- सर्वप्रथम विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण ग्रामीण व अनपढ़ परिवेश के व्यक्ति है एवं उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में लंबित प्रकरण की जानकारी उनके पिता कालूदास को थी उन्हें इस बाबत कोई जानकारी नहीं थी उनके पिता की मृत्यु उपरांत जैसे ही उन्हें प्रकरण में संबंध ज्ञात हुआ उनके द्वारा अपील मय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर दी गयी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा मियाद पर नरम रूख अपनाने के संबंध में न्यायिक दृष्टांत 2015 आर0बी0जे0 पेज 482 प्रस्तुत की गयी जो निम्नानुसार उद्धरित हैः-

> **Indian Limitation Act, 1963-** Section 5- Condonation of delay-Expression sufficient cause is to receive liberal constrution so as to advance substantial justice.

उक्त आधार पर विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी को मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र बहस सुनने के उपरांत अपीलार्थी द्वारा लिये गये उज्र पर नरमररूख अपनाते हुये एवं उनकी परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये विलंब को कन्डोन किया जाता है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का गहनता से अवलोकन किया।

7. पत्रावली का विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वादी सूडादास द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नं. 49/2 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा भूमि वादी के पिता जग्गुदास की खातेदारी की भूमि

होकर पैतृक सम्पत्ति है। वादी के पिता जग्गुदास के तीन पुत्र वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व मृतक हीरालाल जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है। जिसमें वादी सूडादास का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने विवादित आराजी को 1/2-1/2 हिस्सों आपस में बंटवारा करते हुये नामांतरकरण संख्या 163 स्वीकृत कर दर्ज करवा लिया। वादी द्वारा अपना हिस्सा मांगे जाने पर उसे मना कर दिया गया। उक्त आधार लेते हुये वादी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। परीक्षण न्यायालय ने विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति मानते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.1995 से वादी का वाद डिक्री करते हुये वादी का विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित कर दिया। जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय व डिक्री से यथावत रखा। अपीलीय न्यायालय द्वारा ना तो पक्षकारान की समुचित साक्ष्य ली गयी ना ही तनकीवार निर्णय पारित किया गया जबकि अपीलीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान की साक्ष्य लेते हुये तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए।

8- प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री समपार्श्विक है किन्तु इसके बाजवूद भी यदि अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि जाहिर हो तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 221 के तहत अन्तर्निर्हित शक्तियों का प्रयोग किया जाकर ऐसे निर्णयों के विपरीत अभिमत दिया जा सकता है।

9- न्यायालय हाजा के स्तर पर निर्धारण योग्य प्रश्न यह है कि विवादित आराजी पैतृक है अथवा जग्गूदास की स्वअर्जित ? इसके लिए हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता जग्गुदास ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचानकर्ता नाथू सिंह व हीरासिंह से दिनांक 28.09.1962 को रूपये 1500/- में क्रय की थी। जो कि उप पंजीयक, चित्तौडगढ के द्वारा हस्ताक्षरित एवं पंजीबद्ध है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी जग्गुदास की खरीदशुदा स्वअर्जित सम्पत्ति है। जिसकी जग्गूदास द्वारा अपने जीवनकाल में अपने पुत्र क्रमशः कालूदास एवं अन्य पुत्र हीरादास के वारिसान तुलसीदास पुत्र हीरादास एवं मु0 राधा बेवा हीरादास के नाम वसीयत की है। जिसकी जग्गूदास को अधिकारिता प्राप्त थी। इस सबंध में विधि में यह स्पष्ट प्रावधित है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति की वसीयत, गिप्ट, बख्शीश अपनी स्वेच्छा से किसी भी पक्षकार विशेष के हक में कर सकता है। प्रकरण में चूंकि विवादित आराजी

जग्गूदास की स्वअर्जित भूमि होना जाहिर है इसके विपरीत दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति मानते हुये वादी एवं प्रतिवादीगण तीनों का बराबर हिस्सा 1/3-1/3 का हिस्सेदार घोषित कर दिया जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने एक अन्य आधार यह भी लिया है कि वसीयत प्रोबेट नहीं है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य में वसीयत को प्रोबेट कराना आज्ञापक नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण में दस्तावेजात का पूर्ण मूल्यांकन किये बिना ही उक्त आधार लेते हुये निर्णय पारित किये हैं जो स्थापित रखे जाने योग्य नहीं है। विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के न्याय, निर्णयन में सहायक सिद्व होने से चस्पा किये जाते है।

9- परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों क्रमशः अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर कैम्प चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.1988 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.1985 अपास्त किये जाते है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(अजीत सिंह राजावत)
सदस्य